

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

क्रमांक/सहायता/बाढ/मरम्मत/2021/ 2654

दिनांक : 1-11-2021

प्रशासनिक स्वीकृति

संयुक्त शासन सचिव, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर के स्वीकृति आदेश क्रमांक एफ. 8(15)आ.प्र. एवं सहा. / प्रस्ताव/बाढ/21/13670-78 दिनांक 20.10.21 द्वारा मानसून, 2021 के दौरान भारी वर्षा से जयपुर जिले के उपखण्ड शाहपुरा, दूदू, सांभर, जयपुर, चाकसू, फागी, सांगानेर, फुलेरा तथा चौमूं में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड— शाहपुरा, अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड— दूदू अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड, चाकसू तथा सा.नि.वि. जिला खण्ड, फुलेरा से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार सड़कें, जिनकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है, के अनुसरण में जयपुर जिले की तहसील शाहपुरा, दूदू, सांभर, जयपुर, चाकसू, फागी, सांगानेर, फुलेरा तथा चौमूं क्षेत्र की उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अभिशंषा सहित प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार मरम्मत कार्य करवाये जाने हैं। उक्त आदेशों की अनुपालना में नीचे अंकित कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। विवरण इस प्रकार है :-

कार्यकारी अभिकरण : अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड—चाकसू जयपुर
उपखण्ड — सांगानेर

क्र. सं.	सड़क मरम्मत कार्य का नाम	राशि (लाखों में)
1	बालावाला से वाटिका किमी. 0/0 से 8/500 किमी. 0/0 से 8/500	5.10
2	मीणा वाली से जाटावाली किमी. 0/0 से 1/100 किमी. 0/0 से 1/100	0.66
3	ए/आर बदनपुरा किमी. 0/0 से 1/800 किमी. 0/0 से 1/800	1.08
4	मोहनपुरा सड़क से नरोत्तमपुरा किमी. 0/0 से 1/930 किमी. 0/0 से 1/930	1.16
5	डिग्गी सड़क से रूपवास किमी. 0/0 से 1/950 किमी. 0/0 से 1/950	1.17
6	बक्सवाला से गोविन्दपुरा सर्किल वाया गोविन्दपुरा ग्राम मंदिर किमी. 0/0 से 1/500 किमी. 0/0 से 1/500	0.90
7	बक्सवाला सड़क से हनुमान व रामदेवजी मंदिर दांयी तरफ बैरवा ढाणी किमी. 0/0 से 0/800 किमी. 0/0 से 0/800	0.48
8	वाटिका सड़क से हनुमान मंदिर, मालियों की ढाणी सुखदेवपुरा ग्राम वाया सीतापुरा कलवर्ट किमी. 0/0 से 1/500 किमी. 0/0 से 1/500	0.90
9	भापुरा से खातीपुरा सड़क किमी. 0/0 से 4/300 किमी. 0/0 से 4/300	2.58
10	गोनेर मोड़ (टोंक सड़क) से श्रीराम की नांगल सड़क किमी. 0/0 से 1/0 किमी. 0/0 से 1/0	0.60
11	हनुती मंदिर से पहाड़िया सड़क वाया मकरानों की ढाणी किमी. 0/0 से 2/0 किमी. 0/0 से 2/0	1.20
12	वाटिका सड़क से श्रीरामपुरा किमी. 0/0 से 1/0 किमी. 0/0 से 1/0	0.60
13	लिंग रोडक शिकारपुरा से दादिया (के.यू.एम.) किमी. 0/0 से 5/0 किमी. 0/0 से 5/0	3.00
14	टोंक जिला बोर्डर से रसीली, मौजमाबाद, बगरु किमी. 32/0 से 38/0 व किमी. 41/0 से 47/0 किमी. 32/0 से 38/0 व किमी. 41/0 से 47/0	7.20
15	ए/आर कलां से बेगस किमी. 2/400 से 4/800 किमी. 2/400 से 4/800	1.44
16	कलवाड़ा - अजयराजपुरा - बगरु रिको किमी. 0/0 से 8/0 एवं किमी. 11/500 से 12/780 किमी. 0/0 से 8/0 एवं किमी. 11/500 से 12/780	5.57
17	ए/आर सवाई जयसिंहपुरा किमी. 0/0 से 2/0 किमी. 0/0 से 2/0	1.20
18	बगरु रामपुरा उंटी सड़क से लक्ष्मीनारायणपुरा किमी. 0/0 से 4/0 किमी. 0/0 से 4/0	2.40
19	आवनिया से कोडर किमी. 0/0 से 1/600 किमी. 0/0 से 1/600	0.96
20	कांसल से टिकेल नरुकान किमी. 0/0 से 2/750 किमी. 0/0 से 2/750	1.65
21	कलवाड़ा से सुरतपुरा किमी. 0/0 से 4/0 किमी. 0/0 से 4/0	2.40
22	अजमेर सड़क से घेघा किमी. 0/0 से 1/030 किमी. 0/0 से 1/030	0.62
23	रिका इन्डस्ट्रीयल एरिया से रामपुरा उंटी किमी. 0/0 से 3/500 किमी. 0/0 से 3/500	2.10
24	उंटी बैरुजी मंदिर से नरवाड़ियों की ढाणी किमी. 0/0 से 3/750 किमी. 0/0 से 3/750	2.25
25	एन.एच.-08 अटमोरिया से नारायण धाम, गौशाला किमी. 0/0 से 3/0 किमी. 0/0 से 3/0	1.80
26	ए/आर धामी खुर्द किमी. 0/0 से 0/500 किमी. 0/0 से 0/500	0.30
27	बूकनी से गोविन्दपुरा उर्फ बासड़ा किमी. 0/0 से 2/600 किमी. 0/0 से 2/600	1.56
28	कलवाड़ा - अजयराजपुरा सड़क से बाढ अजयराजपुरा किमी. 0/0 से 1/800 किमी. 0/0 से 1/800	1.08
29	अजयराजपुरा सड़क से देवीसिंहपुरा किमी. 0/0 से 0/650 किमी. 0/0 से 0/650	0.39
30	कलवाड़ा - अजयराजपुरा सड़क से जैजसपुरा उर्फ मानपुरा किमी. 0/0 से 1/150 किमी. 0/0 से 1/150	0.69
31	कांसल से जगतसिरोमणिपुरा उर्फ मानपुरा किमी. 0/0 से 3/900 किमी. 0/0 से 3/900	2.34

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

32	कोडर से ढाणी राजपुरा किमी. 0/0 से 1/600 किमी. 0/0 से 1/600	0.96
33	रामपुरा उंटो - झुण्ड सड़क से अनूपपुरा किमी. 0/0 से 3/600 किमी. 0/0 से 3/600	2.16
34	भापुरा से हीरापुरा (विधानसभा बगरु) किमी. 0/0 से 1/650 किमी. 0/0 से 1/650	0.99
35	लक्ष्मीनारायणपुरा - अजयराजपुरा सड़क से देवीसिंहपुरा मोड़ वाया बड़ा की ढाणी का तिराहा किमी. 0/0 से 2/800 किमी. 0/0 से 2/800	1.68
36	एन.एच.-08 से लाम्बा की ढाणी वाया नंसू कुमावतों की ढाणी किमी. 0/0 से 1/100 किमी. 0/0 से 1/100	0.66
37	एन.एच.-08 से साध बाबा का स्थान किमी. 0/0 से 2/0 किमी. 0/0 से 2/0	1.20
38	अजयराजपुरा से सिरानी वाया देगराव की ढाणी, मावलियों की ढाणी व ठाकुरों की ढाणी किमी. 0/0 से 3/0 किमी. 0/0 से 3/0	1.80
39	श्यासिंहपुरा से महला झाग सड़क किमी. 0/0 से 4/200 किमी. 0/0 से 4/200	2.52
40	बगरु किले से रामदेव गौशाला वाया पालवाले बालाजी किमी. 0/0 से 2/100 किमी. 0/0 से 2/100	1.26
41	एन.एच.-08 से नरसिंहपुरा किमी. 0/0 से 1/0 किमी. 0/0 से 1/0	0.60
42	बगरु चितरोली से आवनिया शमशान घाट (के.यू.एम.) किमी. 0/0 से 2/500 किमी. 0/0 से 2/500	1.50
43	भांकोरटा खुर्द से झाग स्टैण्ड, बगरु किमी. 0/0 से 5/0 किमी. 0/0 से 5/0	3.00
	कुल योग:-	73.71

उपरोक्त मरम्मत कार्य निम्न शर्तों के अधीन शर्तों के अधीन करवाये जावेंगे।

- उपरोक्त मरम्मत कार्य आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान के स्वीकृति क्रमांक 9850 दिनांक 27.07.21, दिशा-निर्देश क्रमांक 9851-52 दि. 27.07.21 में अंकित शर्तों एवं राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार तथा इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार करवाये जावेंगे।
- ये सभी कार्य प्रारम्भ किए जाने की तिथि से 30 दिवस की निर्धारित अवधि में ही पूर्ण कराने होंगे। निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान द्वारा जारी कोष से मरम्मत कराये जाने संभव नहीं होंगे, कार्यकारी विभाग द्वारा विभागीय बजट से पूर्ण कराये जावेंगे।
- वे सड़कें जो Defect Liability Period के तहत आती हैं अथवा वे सड़कें जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं तथा पेचवर्क से ठीक करने लायक नहीं हैं, उनकी मरम्मत राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से देय नहीं होगी।
- कार्यकारी अभिकरण उक्त कार्यों के तकमीना तथा तकमीना स्वीकृति के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र भी जारी कर भिजवाना सुनिश्चित करेंगे कि उनके पास राज्य बजट मद अनुरक्षण एवं सामग्री मद में वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि उपलब्ध नहीं है तथा उक्त मद में राशि उपलब्ध होने पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से राशि का आवंटन नहीं किया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में राशि अवशेष रहने पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद को अवशेष राशि पुनर्भरण कर दी जावेगी।
- स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
- कार्यकारी विभाग बिना वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना कार्यारम्भ नहीं करेंगे, अगर कार्यारम्भ किया जाता है, तो कार्यकारी विभाग के बजट मद से मरम्मत राशि वहन की जावेगी। समयावधि में उपयोग न हो सकने वाली राशि बिना किसी विलम्ब से समर्पित की जावे।
- उपरोक्त मरम्मत कार्यों के तकमीना/ तकनीकी स्वीकृति कार्यकारी विभाग द्वारा जारी किये जाने के उपरान्त ही इस कार्यालय द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी।
- उपरोक्त मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जावे। इस हेतु संबंधित उपखण्ड अधिकारी/ तहसीलदार/ विकास अधिकारी/ सहायक अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता की सुनिश्चितता बनाए रखने हेतु समय-समय पर निरीक्षण करें तथा उपखण्ड स्तरीय समिति निर्धारित अवधि में कार्यपूर्णता का प्रमाण पत्र प्रेषित करेंगी।
- अंकित कार्यों पर व्यय का अंकेक्षण होने पर अंकेक्षण कराने, आक्षेप अनुपालना पूर्ण कराने की जिम्मेदारी कार्यकारी अभिकरण की होगी।

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

10. कार्यकारी अभिकरण पूर्व के बकाया आक्षेपों की पूर्ति उपरोक्त स्वीकृत कार्यों के भुगतान से करवाना सुनिश्चित करें।
11. उक्त प्रशासनिक स्वीकृति में स्वीकृत कार्यों में से यदि मरम्मत कार्य विभागीय बजट मद से पूर्ण करवा लिये गये हैं, तो उन कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं की जावे।



जिला कलेक्टर,

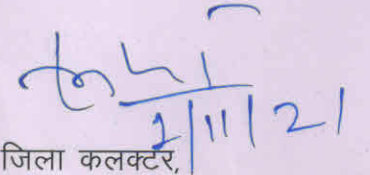
जयपुर

क्रमांक/सम/ 2655-60

दिनांक : 11/11/2021

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर
3. अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड- चाकसू जयपुर
4. उपखण्ड अधिकारी सांगानेर
5. तहसीलदार, सांगानेर
6. विकास अधिकारी, पं.स., सांगानेर
7. गार्ड फ़ाइल।



जिला कलेक्टर,

जयपुर

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

क्रमांक/सहायता/बाढ/मरम्मत/2021/2661

दिनांक : 11.11.2021

प्रशासनिक स्वीकृति

संयुक्त शासन सचिव, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर के स्वीकृति आदेश क्रमांक एफ. 8(15)आ.प्र. एवं सहा. प्रस्ताव/बाढ/21/13670-78 दिनांक 20.10.21 द्वारा मानसून, 2021 के दौरान भारी वर्षा से जयपुर जिले के उपखण्ड शाहपुरा, दूदू, सांभर, जयपुर, चाकसू, फागी, सांगानेर, फुलेरा तथा चौमूं में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड- शाहपुरा, अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड- दूदू अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड, चाकसू तथा सा.नि.वि. जिला खण्ड, फुलेरा से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार सड़कों, जिनकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है, के अनुसरण में जयपुर जिले की तहसील शाहपुरा, दूदू, सांभर, जयपुर, चाकसू, फागी, सांगानेर, फुलेरा तथा चौमूं क्षेत्र की उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अभिशंषा सहित प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार मरम्मत कार्य करवाये जाने हैं। उक्त आदेशों की अनुपालना में नीचे अंकित कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। विवरण इस प्रकार है :-

कार्यकारी अभिकरण : अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड-चाकसू जयपुर
उपखण्ड - फागी

क्र. सं.	सड़क मरम्मत कार्य का नाम	राशि (लाखों में)
1	दौसा कुचामण वाया लावण तुंगा फागी दूदू सांभर किमी. 71/0 से 80/0	9.00
2	दौसा कुचामण वाया लावण तुंगा फागी दूदू सांभर किमी. 80/500 से 86/0	5.50
2	चकवाड़ा से मण्डोर किमी. 0/500 से 10/500	6.00
3	ए.आर. झाड़ला किमी. 0/0 से 1/700	1.02
4	भोजपुरा से माधोराजपुरा किमी. 0/0 से 2/0 एवं 5/180 से 8/0	2.89
5	हरसुलिया से गोहन्दी किमी. 0/0 से 6/0	3.60
6	रेनवाल से हीरापुरा किमी. 0/0 से 6/0	3.60
7	पहाड़िया नारायणपुरा सड़क से बाजड़ोली किमी. 0/0 से 2/20	1.32
8	चकवाड़ा मण्डोर सड़क से पीनाच किमी. 0/0 से 3/680	2.21
9	मानपुर गेट से श्रीराजपुरा किमी. 0/0 से 2/0	1.20
10	हरसुलिया गोहन्दी सड़क से बालापुरा किमी. 0/0 से 3/0	1.80
11	रोटवाड़ा से भीमपुरा किमी. 0/0 से 3/780	2.27
12	पीनाच से सलारसू किमी. 0/0 से 2/100	1.26
13	किरतपुरा से हरबंसपुरा किमी. 0/0 से 0/980	0.59
14	पहाड़िया नारायणपुरा सड़क से श्री जयपालपुरा उर्फ गुजरवाला किमी. 0/0 से 0/480	0.29
15	कांसल रोटवाड़ा सड़क से ढाणी बैरवा किमी. 0/0 से 0/880	0.53
16	रायथल से रामपुरा उर्फ चौखावाला किमी. 0/0 से 3/900	2.34
17	नारायणपुरा बोकड़ावास सड़क से बढली किमी. 0/0 से 2/760	1.66
18	रेनवाल हीरापुरा से हरिरामपुरा किमी. 0/0 से 1/400	0.84
19	चाकसू फागी सड़क से ढाणी पावल की किमी. 0/0 से 2/800	1.68
20	डाबीच से ढाणी रैगर की किमी. 0/0 से 2/530	1.52
21	हीरापुरा से भापुरा, चाकसू विधानसभा बोर्डर किमी. 0/0 से 2/260	1.36
22	चित्तौड़ा से ढाणी जयनगर की किमी. 0/0 से 2/900	1.74
23	एस.एच.-12 से ढाणी गाड़ोतियां की किमी. 0/0 से 3/350	2.01
24	नवलकिशोरपुरा सड़क से नारायण सरपंच की ढाणी किमी. 0/0 से 1/0	0.60
25	माधोराजपुरा से झाड़ला किमी. 0/0 से 3/750	2.25
26	गोहन्दी चौराहा किरतपुरा अप्रोच सड़क से देव नगर सावा का बास किमी. 0/0 से 2/500	1.50
27	मस्ता मोड़ से देवमण्ड (के.यू.एम.) किमी. 0/0 से 1/430	0.86
28	फागी-दूदू सड़क से के.यू.एम. यार्ड फागी (के.यू.एम.) किमी. 0/0 से 1/0	0.60
29	फागी से मदनपुरा किमी. 0/0 से 4/430	2.66
30	ए./आर. रेल्वे स्टेशन किमी. 0/0 से 1/0	0.60
31	मांदी से नथमलपुरा किमी. 0/0 से 3/0	1.80
32	लसाड़िया से पालड़ी किमी. 0/0 से 1/900	1.14
33	चाकसू फागी सड़क से झोपड़िया किमी. 0/0 से 1/025	0.62
34	चांदमा कलां से ऊँट का खेड़ा किमी. 0/0 से 1/940	1.16

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

35	डिडावता से हनुतिया कलां किमी. 0/0 से 2/920	1.75
36	फागी समेलिया सड़क से मोरडी किमी. 0/0 से 1/690	1.01
37	निमेड़ा से जगन्नाथपुरा किमी. 0/0 से 2/960	1.78
38	कुड़ली सड़क से धुवालिया किमी. 0/0 से 1/800	1.08
39	मण्डावरी से गुलापुरा उर्फ गुलाबपुरा किमी. 0/0 से 4/670	2.80
40	निमेड़ा से रामचन्द्रपुरा वाया बिमलपुरा किमी. 0/0 से 5/380	3.23
41	परवण से पावसू खेड़ा किमी. 0/0 से 1/930	1.16
42	सेहदरिया से डिडावता सड़क किमी. 0/0 से 4/500	2.70
43	दौसा कुचामण वाया लावण तुंगा फागी दूदू सांभर किमी. 86/0 से 90/0	3.00
44	चांदमा कलां से चांदमा खुर्द किमी. 0/0 से 3/850	2.31
45	चांदमा कलां से अजनाता किमी. 0/0 से 2/950	1.77
46	निमेड़ा से महाराजपुरा उर्फ नैनस्या किमी. 0/0 से 2/100	1.26
47	लोरडी से छापरी किमी. 0/0 से 3/900	2.34
48	धुंवलिया से मण्डप किमी. 0/0 से 4/180	2.51
कुल योग:-		98.72

उपरोक्त मरम्मत कार्य निम्न शर्तों के अधीन शर्तों के अधीन करवाये जावेंगे।

1. उपरोक्त मरम्मत कार्य आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान के स्वीकृति क्रमांक 9850 दिनांक 27.07.21, दिशा-निर्देश क्रमांक 9851-52 दि. 27.07.21 में अंकित शर्तों एवं राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार तथा इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार करवाये जावेंगे।
2. ये सभी कार्य प्रारम्भ किए जाने की तिथि से 30 दिवस की निर्धारित अवधि में ही पूर्ण कराने होंगे। निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान द्वारा जारी कोष से मरम्मत कराये जाने संभव नहीं होंगे, कार्यकारी विभाग द्वारा विभागीय बजट से पूर्ण कराये जावेंगे।
3. वे सड़कें जो Defect Liability Period के तहत आती हैं अथवा वे सड़कें जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं तथा पेचवर्क से ठीक करने लायक नहीं हैं, उनकी मरम्मत राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से देय नहीं होगी।
4. कार्यकारी अभिकरण उक्त कार्यों के तकमीना तथा तकमीना स्वीकृति के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र भी जारी कर भिजवाना सुनिश्चित करेंगे कि उनके पास राज्य बजट मद अनुसंधान एवं सामग्री मद में वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि उपलब्ध नहीं है तथा उक्त मद में राशि उपलब्ध होने पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से राशि का आवंटन नहीं किया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में राशि अवशेष रहने पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद को अवशेष राशि पुनर्भरण कर दी जावेगी।
5. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
6. कार्यकारी विभाग बिना वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना कार्यारम्भ नहीं करेंगे, अगर कार्यारम्भ किया जाता है, तो कार्यकारी विभाग के बजट मद से मरम्मत राशि वहन की जावेगी। समयावधि में उपयोग न हो सकने वाली राशि बिना किसी विलम्ब से समर्पित की जावे।
7. उपरोक्त मरम्मत कार्यों के तकमीना/ तकनीकी स्वीकृति कार्यकारी विभाग द्वारा जारी किये जाने के उपरान्त ही इस कार्यालय द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी।
8. उपरोक्त मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जावे। इस हेतु संबंधित उपखण्ड अधिकारी/ तहसीलदार/ विकास अधिकारी/ सहायक अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता की सुनिश्चितता बनाए रखने हेतु समय-समय पर निरीक्षण करें तथा उपखण्ड स्तरीय समिति निर्धारित अवधि में कार्यपूर्णता का प्रमाण पत्र प्रेषित करेगी।
9. अंकित कार्यों पर व्यय का अंकेक्षण होने पर अंकेक्षण कराने, आक्षेप अनुपालना पूर्ण कराने की जिम्मेदारी कार्यकारी अभिकरण की होगी।

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

11. उक्त प्रशासनिक स्वीकृति में स्वीकृत कार्यों में से यदि मरम्मत कार्य विभागीय बजट मद से पूर्ण करवा लिये गये हैं, तो उन कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं की जावे।

जिला कलेक्टर,
जयपुर

क्रमांक/सम/ 2662-68

दिनांक : 1-11-2021

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर
3. अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड- चाकसू जयपुर
4. उपखण्ड अधिकारी फागी
5. तहसीलदार, फागी
6. विकास अधिकारी, पं.स., माधोराजपुरा/फागी
7. गार्ड पत्रावली।

जिला कलेक्टर,
जयपुर

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

क्रमांक/सहायता/बाढ/मरम्मत/2021/2669

दिनांक : 1-11-2021

प्रशासनिक स्वीकृति

संयुक्त शासन सचिव, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर के स्वीकृति आदेश क्रमांक एफ. 8(15)आ.प्र. एवं सहा. / प्रस्ताव/बाढ/21/13670-78 दिनांक 20.10.21 द्वारा मानसून, 2021 के दौरान भारी वर्षा से जयपुर जिले के उपखण्ड शाहपुरा, दूदू, सांभर, जयपुर, चाकसू, फागी, सांगानेर, फुलेरा तथा चौमूं में क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड- शाहपुरा, अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड- दूदू अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड, चाकसू तथा सा.नि.वि. जिला खण्ड, फुलेरा से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार सडकों, जिनकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है, के अनुसरण में जयपुर जिले की तहसील शाहपुरा, दूदू, सांभर, जयपुर, चाकसू, फागी, सांगानेर, फुलेरा तथा चौमूं क्षेत्र की उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अभिशाषा सहित प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार मरम्मत कार्य करवाये जाने हैं। उक्त आदेशों की अनुपालना में नीचे अंकित कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। विवरण इस प्रकार है :-

कार्यकारी अभिकरण : अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड-चाकसू, जयपुर
उपखण्ड - चाकसू

क्र. सं.	सडक मरम्मत कार्य का नाम	राशि (लाखों में)
1	दौसा कुचामण वाया लावण तुंगा फागी दूदू सांभर किमी. 35/0 से 45/0 किमी. 35/0 से 53/500	9.50
2	दौसा कुचामण वाया लावण तुंगा फागी दूदू सांभर किमी. 45/0 से 54/0 किमी. 35/0 से 54/0	8.00
3	दौसा कुचामण वाया लावण तुंगा फागी दूदू सांभर किमी. 54/0 से 63/0 किमी. 54/0 से 63/0	8.00
4	दौसा कुचामण वाया लावण तुंगा फागी दूदू सांभर किमी. 63/500 से 67/0 किमी. 63/500 से 67/0	2.00
5	चाकसू कोटखावदा सडक से दहलाला मोड किमी 12/430 से 16/430	2.40
6	सम्पर्क सडक रामनिवासपुरा किमी 0/0 से 1/500	0.90
7	कोटखावदा से गौड का बास किमी 0/0 से 12/200	7.32
8	सम्पर्क सडक खेडा रानीवास किमी 0/0 से 4/700	2.82
9	दुसरी सडक से रूपवास किमी 0/0 से 1/800	1.08
10	एस.एच.-02 थली मोड से दुसरी किमी 0/0 से 3/130	1.88
11	कोटखावदा बालमुकुन्दपुरा (बासडा) सडक से श्यामपुरा किमी 0/0 से 2/300	1.38
12	हिंमोनिया से आन्नदरामपुरा किमी 0/0 से 2/380	1.43
13	विमलपुरा से गढ का पाडा किमी 0/0 से 2/250	1.35
14	सम्पर्क सडक कोथून किमी 0/0 से 1/100	0.66
15	चाकसू से बडी मालपुरिया किमी 0/0 से 8/800	5.28
16	गौड का बास से जगदीशपुरा किमी 0/0 से 3/500	2.10
17	रामनगर मोड से झापदा कलां किमी 0/0 से 11/900	7.14
18	श्यामपुरा से नृसिंहपुरा किमी 0/0 से 2/200	1.32
19	चाकसू दहलाला सडक से बाढ राजपुरा किमी 0/0 से 0/950	0.57
20	चाकसू कस्बा (पुराना एन.एच.12) किमी 0/0 से 7/0	4.20
21	इन्द्रपुरी सडक से कोटखावदा तुंगा सडक (कोटखावदा बाईपास) किमी 0/0 से 2/700	1.62
22	चाकसू फागी सडक से भादीपुरा किमी 0/0 से 2/650	1.59
23	चाकसू हिंमोनिया सडक से मानपुरा किमी 0/0 से 3/400	2.04
24	जगदीशपुरा सडक से बाढ महाराजपुरा किमी 0/0 से 1/800	1.08
25	एस.एच.-02 से जगमालपुरा किमी 0/0 से 1/830	1.10
26	चाकसू गरुडवासी सडक से राघवपुरा किमी 0/0 से 1/100	0.66
27	धर्मपुरी सडक से खेजडी खुर्द किमी 0/0 से 1/150	0.69
28	धर्मपुरी परमानंदपुरा उर्फ मण्डालिया सडक से श्री सम्पतपुरा किमी 0/0 से 1/500	0.90
29	धर्मपुरी से परमानंदपुरा उर्फ मण्डालिया किमी 0/0 से 4/900	2.94
30	चाकसू बडी मालपुरिया सडक से आशिकपुरा उर्फ चौहरीया किमी 0/0 से 2/050	1.23
31	आशिकपुरा उर्फ चौहरीया से मौहम्मदपुरा किमी 0/0 से 1/900	1.14
32	महादेवपुरा से देवकीनन्दनपुरा किमी 0/0 से 2/600	1.56
33	एन.एच.-12 से किशनपुरा किमी 0/0 से 3/0	1.80
34	चाकसू फागी सडक से कृपारामपुरा किमी 0/0 से 1/350	0.81
35	तामडिया (किरतपुरा) से हरी वल्लभपुरा किमी 0/0 से 2/200	1.32

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

36	लसाडिया हिंगोनिया सडक से दलपतपुरा किमी 0/0 से 2/280	1.37
37	दहलाला आपदा कलां सडक से मदनमोहनपुरा उर्फ थूनी किमी 0/0 से 1/800	1.08
38	गरुडवासी ठिकरिया मीणान सडक से बद्दीनाथपुरा किमी 0/0 से 1/700	1.02
39	सांवलिया से महादेवपुरा किमी 0/0 से 1/250	0.75
40	चाकसू बडी मालपुरिया सडक से सापला मीणों की ढाणी तक किमी 0/0 से 2/650	1.59
41	आपदा कलां से त्रिलोकीनाथपुरा किमी 0/0 से 3/280	1.97
42	एन.एच.-12 से भुटिया कलां किमी 0/0 से 2/350	1.41
43	लक्ष्मीपुरा से कंवरपुरा किमी 0/0 से 1/850	1.11
44	सम्पर्क सडक तुंगा से महादेवपुरा किमी 0/0 से 3/0	1.80
45	सम्पर्क सडक महादेवपुरा (ब्लॉक सीमा तक) किमी 0/0 से 2/0	1.20
46	कोथून से तुमली का बास किमी 0/0 से 5/500	3.30
47	एन.एच.-12 से बडली किमी 0/0 से 2/500	1.50
48	बडली से खेडा लदाना किमी 0/0 से 1/800	1.08
49	आनन्दरामपुरा प्याउ से तामडिया किमी 0/0 से 1/660	1.00
50	सम्पर्क सडक रेल्वे स्टेशन शिवदासपुरा किमी 0/0 से 1/0	0.60
51	सम्पर्क सडक शितला माता मन्दिर किमी 0/0 से 1/0	0.60
52	सम्पर्क सडक डाक बंगला चाकसू किमी 0/0 से 0/600	0.36
53	चाकसू से भादरवास किमी 5/480 से 14/300	5.29
54	चंदलाई सडक से जयचंदपुरा किमी 0/0 से 2/650	1.59
55	बीड सुरतपुरा से आजमनगर किमी 0/0 से 2/100	1.26
56	हरीपुरा सडक से मुण्डाहेरी किमी 0/0 से 2/450	1.47
57	निमोडिया से दयापुरा किमी 0/0 से 1/250	0.75
58	बाजडोली से सवाई जयसिंहपुरा किमी 0/0 से 2/800	1.68
59	हरीपुरा से बगरिया किमी 0/0 से 2/500	1.50
60	अचलपुरा से बाड बलदेवपुरा किमी 0/0 से 3/680	2.21
61	भोज्याडा से विनोदीलालपुरा किमी 0/0 से 2/500	1.50
62	सम्पर्क सडक हरीनारायणपुरा किमी 0/0 से 0/900	0.54
63	बाड पदमापुरा सांभरिया सडक से बल्लुपुरा किमी 0/0 से 1/100	0.66
64	नांगलपुरना से शितला माता मंदिर किमी 0/0 से 6/500	3.90
65	बाड पदमापुरा बरखेडा सडक से हरीपुरा वाया खाजलपुरा आकोडिया किमी 0/0 से 3/260	1.96
66	शिव डूंगरी से बीड सुरतपुरा वाया रायपुरिया बुजुर्ग किमी 0/0 से 2/700	1.62
67	थली से भुमारकिया किमी 0/0 से 2/200	1.32
68	निमोडिया से लाखावास वाया हुकुन, सिरोजिया किमी 0/0 से 4/100	2.46
69	बीड पीनारपुरा सडक से भगवानपुरा किमी 0/0 से 1/200	0.72
70	शिवदासपुरा बाडा पदमपुरा सडक से पाचूडा किमी 0/0 से 1/360	0.82
71	डहर सालगरामपुरा (एन.एच.12) से गोपीरामपुरा किमी 0/0 से 1/100	0.66
72	कल्याणपुरा से रेल्वे स्टेशन (ढाणी नागोरियान) किमी 0/0 से 2/100	1.26
73	बापू गांव से बैरवा की ढाणी किमी 0/0 से 1/300	0.78
74	कोटखावदा से बापू गांव किमी 0/0 से 5/500	3.30
75	कोटखावदा अचलपुरा सडक से मुंडली किमी 0/0 से 1/700	1.02
76	चाकसू कोटखावदा सडक (रूपाहेडी कलां) से काशीपुरा ब्लॉक सीमा तक किमी 0/0 से 3/980	2.39
	कुल योग:-	152.21

उपरोक्त मरम्मत कार्य निम्न शर्तों के अधीन शर्तों के अधीन करवाये जावेंगे।

1. उपरोक्त मरम्मत कार्य आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान के स्वीकृति क्रमांक 9850 दिनांक 27.07.21, दिशा-निर्देश क्रमांक 9851-52 दि. 27.07.21 में अंकित शर्तों एवं राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार तथा इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार करवाये जावेंगे।
2. ये सभी कार्य प्रारम्भ किए जाने की तिथि से 30 दिवस की निर्धारित अवधि में ही पूर्ण कराने होंगे। निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान द्वारा जारी कोष से मरम्मत कराये जाने संभव नहीं होंगे, कार्यकारी विभाग द्वारा दिमागीय बजट से पूर्ण कराये जावेंगे।
3. वे सडकें जो Defect Liability Period के तहत आती हैं अथवा वे सडकें जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं तथा पेचवर्क से ठीक करने लायक नहीं हैं, उनकी मरम्मत राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से देय नहीं होगी।

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

4. कार्यकारी अभिकरण उक्त कार्यों के तकमीना तथा तकमीना स्वीकृति के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र भी जारी कर भिजवाना सुनिश्चित करेंगे कि उनके पास राज्य बजट मद अनुरक्षण एवं सामग्री मद में वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि उपलब्ध नहीं है तथा उक्त मद में राशि उपलब्ध होने पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से राशि का आवंटन नहीं किया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में राशि अवशेष रहने पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद को अवशेष राशि पुनर्भरण कर दी जावेगी।
5. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
6. कार्यकारी विभाग बिना वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना कार्याभ्यन्त नहीं करेंगे, अगर कार्याभ्यन्त किया जाता है, तो कार्यकारी विभाग के बजट मद से मरम्मत राशि वहन की जावेगी। समयावधि में उपयोग न हो सकने वाली राशि बिना किसी विलम्ब से समर्पित की जावे।
7. उपरोक्त मरम्मत कार्यों के तकमीना/ तकनीकी स्वीकृति कार्यकारी विभाग द्वारा जारी किये जाने के उपरान्त ही इस कार्यालय द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी।
8. उपरोक्त मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जावे। इस हेतु संबंधित उपखण्ड अधिकारी/ तहसीलदार/विकास अधिकारी/सहायक अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता की सुनिश्चितता बनाए रखने हेतु समय-समय पर निरीक्षण करें तथा उपखण्ड स्तरीय समिति निर्धारित अवधि में कार्यपूर्णता का प्रमाण पत्र प्रेषित करेंगी।
9. अंकित कार्यों पर व्यय का अंकेक्षण होने पर अंकेक्षण कराने, आक्षेप अनुपालना पूर्ण कराने की जिम्मेदारी कार्यकारी अभिकरण की होगी।
10. कार्यकारी अभिकरण पूर्व के बकाया आक्षेपों की पूर्ति उपरोक्त स्वीकृत कार्यों के भुगतान से करवाना सुनिश्चित करें।
11. उक्त प्रशासनिक स्वीकृति में स्वीकृत कार्यों में से यदि मरम्मत कार्य विभागीय बजट मद से पूर्ण करवा लिये गये हैं, तो उन कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं की जावे।

जिला कलेक्टर,
जयपुर

क्रमांक/सम/ 2670-76

दिनांक : 11/12/21

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर
3. अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड- चाकसू जयपुर
4. उपखण्ड अधिकारी चाकसू
5. तहसीलदार, चाकसू
6. विकास अधिकारी, पं.स., चाकसू/कोटखावदा
7. गार्ड फ़ाइल।

जिला कलेक्टर,
जयपुर